

परिशिष्ट-अ  
-39-

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



## मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2013—ज्येष्ठ 24, शक 1935

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2013

क्र. ई-5-864-आयएस-लौव-5-एक.—(1) श्री विशेष गढ़पाले, आयएस., आयुक्त, नगर निगम, भोपाल को दिनांक 27 मई से 3 जून 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विशेष गढ़पाले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विशेष गढ़पाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढ़पाले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2013

क्र. ई-5-607-आयएस-लौव-एक-5.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएस., श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को दिनांक 27 मई से 3 जून 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2081

भोपाल, दिनांक 11 जून 2013

एफ क्र. 15-38-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

## अनुसूची

तहसील : सेंधवा	जिला : बड़वानी
क्र. ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3)
(1)	(2)
1. 1. मूल ग्राम—धनोरा 2. नवीन ग्राम—चारदड़ प.ह.नं. 10.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बड़वानी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2013

क्र. एफ 15-38-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-38-2013-सात-6, दिनांक 11 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th June 2013

F. No. 15-38-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

## SCHEDULE

Tahsil : Sendwa	District : Barwani	
S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Dhanora 2. New Vill.—Chardhar P.H.No.—10.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Barwani.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

## धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

क्र. एफ 2-1-2012-छ:—राज्य शासन जबलपुर जिले के ग्वारीघाट को पवित्र क्षेत्र घोषित करते हुए निम्नलिखित क्षेत्र जिनकी चतुर्सीमा निम्नानुसार हैं को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है:—

पूर्व की ओर शमशान घाट  
पश्चिम की ओर ग्वारीघाट  
उत्तर की ओर खंदारी नाला  
दक्षिण की ओर नर्मदा नदी का किनारा.

क्र. एफ 2-02-2012-छ:—राज्य शासन नरसिंहपुर जिले के बरमान को पवित्र क्षेत्र घोषित करते हुए निम्नलिखित क्षेत्र जिनकी चतुर्सीमा निम्नानुसार हैं को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है:—

## 1. छिडाव घाट (सीढ़ी घाट) स्थल—

- उत्तर में रास्ता पक्की खसरा नं. 70 एवं खसरा नं. 53, 54/1, 71.
- पश्चिम में खसरा नं. 32 का शेष भाग (नर्मदा जी)
- पूर्व में खसरा नं. 80 का शेष भाग (नर्मदा जी)
- दक्षिण में ग्राम बरमानकला शासकीय भूमि नर्मदाजी से लगा हुआ ग्राम बरमान खुर्द, तहसील गाडरवारा का खसरा नं. 40 एवं मौजा बरमान कला का भाग खसरा नं. 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 92.

## 2. सतधारा घाट—

- उत्तर में खसरा नं. 169/18, 169/8, 169/26, 169/20, 169/12, 169/23, 169/21, 169/14(रास्ता), 169/1ग, 169/43(रास्ता), 169/20.
- पूर्व में मौजा धरमपुरी मेढा नर्मदाजी,
- पश्चिम में खसरा नं. 80 नर्मदा जी एवं खसरा नं. 103/1, 104/3, 106 एवं बरमान खुर्द का मेढा.
- दक्षिण में ग्राम खामघाट, तहसील गाडरवारा की शासकीय भूमि खसरा नं. 1/1, 1/2 (नर्मदा जी)

## 3. दीपा का मंदिर—खसरा नं. 85/2—

- उत्तर में खसरा नम्बर 84, 86
- दक्षिण में मौजा बरमान खुर्द की सीमा
- पूर्व में खसरा नंबर 85/1, 88 भूमि स्वामी.
- पश्चिम में खसरा नं. 84 भूमि स्वामी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेन्द्र सिंह, उपसचिव.